हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2013

भाग–एक

1 (क) **प्रस्तावना** :–

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के धर्मशाला मण्डल के लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2013 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ई0एस0एन0 महन्त, अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला के लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2013 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	विविध अग्रिमों की राशि समायोजन हेतु शेष	5 (क)	60.63
2	निक्षेप कार्यो पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय	6	547.79
3	रख–रखाव प्रभार के रूप में वसूली योग्य राशि शेष	7 (क)	177.99
4	विभिन्न आवासीय कलौनियों से जल प्रभार के रूप में वसूली शेष	8	6.73
5	आई0टी0आई0 निर्माण कार्य में संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतान	9	8.22
6	निर्माण कार्य "C/O Staff quarter कन्स्ट्रक्सन स्टॉफ क्वाटरस निर्माण कार्य में संविदाकार को अधिक भुगतान	10	3.90

7	कन्स्ट्रक्सन आफॅ स्कूल भवन में निर्माण कार्य में संविदाकार को अनियमित भुगतान	11	1.38
8	आई0टी0आई0 भवन डाडसिवा के निर्माण कार्य में संविदाकार को अनियमित भुगतान	13	3.26
9	कन्स्ट्रकसन ऑफ पालटैक्निक भवन निर्माण कार्य में अनुचित भुगतान	14	20.74
10	धर्मशाला मण्डल के विभिन्न उप मण्डलों के भण्डारों में लम्बी अवधि से अनुपयुक्त पड़ी सामग्री	27	8.36

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट ''क'' में दर्शाई गई है। वर्ष 4/89 से 3/12 तक मण्डल से सम्बन्धित 159 पैरे शेष हैं जिनका वर्ष वार विवरण निम्न है :–

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या	टिप्पणी
1	1989–90	1	आवास बोर्ड से सम्बन्धित पैरे
2	2000–01	–	
3	2003–04	1	
4	2004–05	1	
5	2005–06	8	
6	2006–07	20	
7	2007–08	6	
8	2008–09	6	
9	2009–10	20	
10	2010–11	8	
	2011–12	42	
11	1996–97	11	एस0डी0ए उप मण्डल धर्मशाला से सम्बन्धित पैरे

12	1997—98	24
13	1998—99	3
14	1999—2001	8
		159

अतः अधिशासी अभियन्ता, आवास एवम शहरी विकास मण्डल धर्मशाला उपरोक्त शेष पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :—

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण धर्मशाला मण्डल के लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2013 का तक अंकेक्षण कार्य श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री विरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा श्री बसन्त सिंह, उप निदेशक के पर्यावेक्षण में दिनांक 14.11.2013 से 15.01.2014 तक धर्मशाला में किया गया। माह 06/2012 के लेखाओं का चयन विस्तृत अंकेक्षण हेतु किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है। अंकेक्षण में आगामी पैराग्राफ मे दर्शाए गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख लेखा—परीक्षा में उपलब्ध करवाया गया।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण मण्डल के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं जाँच हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर किया गया है। मण्डल अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत, अधूरी अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :—

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण धर्मशाला मण्डल के लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2013 के अंकेक्षण शुल्क को जमा करवाने के लिए आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 वित्तीय स्थितिः–

दिनांक 31.03.13 तक हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण धर्मशाला मण्डल की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है। वित्तीय स्थिति का अन्तशेष सहित विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" (पृष्ठ संख्या 1 से 5) में दिया गया है।

माह	प्रारम्भिक शेष	आय	योग	व्यय	अन्तिम शेष
अप्रैल	8617594.55	12073238	20690832.55	12707333	7983499.55
मई	7983499.55	14369510	22353009.55	18928932	3424077.55
जून	3424077.55	30769452	34193529.55	25746373	8447156.55
जुलाई	8447156.55	29771467	38218623.55	16624475	21594148.55
अगस्त	21594148.55	29525748	51119896.55	21790398	29329498.55
सितम्बर	29329498.55	10269011	39598509.55	20073620	19524889.55
अक्तूबर	19524889.55	5250904	24775793.55	18839471	5936322.55
नवम्बर	5936322.55	13344536	19280858.55	10865722	8415136.55
दिसम्बर	8415136.55	11224983	19640119.55	13298143	6341976.55
जनवरी	6341976.55	16946156	23288132.55	16002044	7286088.55
फरवरी	7286088.55	24035378	31321466.55	25157720	6163746.55
मार्च	6163746.55	30570116	36733862.55	19701673	17032189.55

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही एवं विभिन्न बैंकों की पास बुकों का अन्तिम शेष इस प्रकार हैः–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	बैंक खाता सं0	बैंक में 31.3.13 को शेष राशि	रोकड़ वही में 31.3.13 को शेष	अन्तर
1	नकद राशि	–	–	61881	–
2	State bank of Patiala	–	5903	5903	–
3	Punjab National Bank	3373002100023123	7652851	6769644	883207
4	U.C.O. Bank	11510200000436	8020159.35	6466477.35	1553682
5	K.C.C. Bank	20075000516	3617933.50	3666527.50	48594

6	Canra Bank	5458	28835	28947	112
7	S.B.I.	30404694305	32279.70	32809.70	530
				17032189.55	

दिनांक 31.3.13 को रोकड़ वही एवं पास बुक के अन्तशेष में पाए गये अन्तर के कारण एवं मिलान इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" में प्रत्येक बैंक खाते की बैंक समाधान विवरणी में किया गया है।

(क) बैंक द्वारा ₹54554/– हिमुडा मण्डल धर्मशाला के खाते में जमा न करनाः–

बैंक समाधान विवरणी की जांच के दौरान पाया कि हिमुडा मण्डल धर्मशाला द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंक धर्मशाला में निम्नलिखित चैक/ड्राफ्ट खाता संख्या 20075000516 में जमा करवाये गये थे लेकिन लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी यह राशि बैंक द्वारा मण्डल खाते में जमा नहीं की गई है। अतः मामला सम्बन्धित बैंक के प्रबन्धन से समायोजन हेतु उठाया जाये तथा बैंक द्वारा कम जमा राशि को ब्याज सहित बैंक खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि इस राशि को हिमुडा मण्डल की गतिविधियों हेतु उपयोग में लाया जा सके।

क्र0सं0	**चैक/ड्राफ्ट संख्या**	**राशि**
1	454891 दिनांक 14.9.12	500
2	669190 दिनांक 17.1.09	54054

(ख) ₹6490/– के जारी चैक वैधता निधि के पश्चात कालातीत होने पर वापिस रोकड़ वही में लेखाकिंत न करनाः–

हिमुडा मण्डल धर्मशाला की रोकड़ वही व बैंक समाधान विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि हिमुडा मण्डल धर्मशाला के विभिन्न बैंक खातों से चैकों द्वारा भुगतान किया गया था परन्तु इन चैकों को अंकेक्षण अवधि तक भुनाया नहीं गया था। यह सभी चैक अब कालातीत हो चुके है। अतः सम्बन्धित बैंकों से नियमानुसार मामला उठाकर एवं समायोजन के पश्चात चैकों की राशि को पुनः सम्बन्धित खाते की प्राप्ति शीर्ष में लिया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार के चैकों का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	चैक सं0	राशि	बैंक व खाता सं0
1	292241 दिनांक 23.5.12	530	यूको बैंक खाता संख्या 11510200000436
2	076067 दिनांक 15.9.11	1960	के0सी0सी0 बैंक खाता संख्या 20075000516
3	844180 दिनांक 09.01.12	4000	–यथोपरि–

5 (क) **विविध अग्रिम ₹6062522.91 समायोजन हेतु शेष :–**

हिमुडा मण्डल धर्मशाला के खातों में दिनांक 31.03.13 को मिश्रित अग्रिमों की ₹6062522.99 समायोजन हेतु शेष थी। इस राशि का विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट ''ग'' में दर्शाया गया है। अतः मण्डल इस राशि के समायोजन हेतु उचित कदम उठाए ताकि मण्डल के खातों में अग्रिम की राशि को शून्य किया जा सके।

(ख) **स्टॉफ अग्रिम ₹194369/– समायोजन हेतु शेषः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया कि दिनांक 31.3.13 को मण्डल के लेखों के अनुसार स्टॉफ अग्रिम के रूप में ₹194369/– मण्डल के विभिन्न कर्मचारियों के पास समायोजन हेतु शेष थी। इसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "घ" में किया गया है। अतः मण्डल द्वारा इन अग्रिम राशियों का समायोजन नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त अग्रिम रजिस्टर का रख–रखाव सही तरीके से नियमानुसार नहीं किया गया था जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि किस कर्मचारी के पास कितनी राशि समायोजन हेतु शेष थी एवं माह मार्च 2013 के तलपट से भी अग्रिम राशि के शेष का मिलान नहीं हो पाया। अतः भविष्य में अग्रिम राशि का रजिस्टर एवं तलपट नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित करें।

6 **विभिन्न विभागों के निक्षेप कार्यो पर दिनांक 31.3.13 तक प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण ₹547.79 लाख की वसूली शेषः–**

हिमुडा मण्डल धर्मशाला द्वारा विभिन्न विभागों के डिपोजिट कार्यों पर दिनांक 31.03.13 तक कुल प्राप्त राशि से अधिक राशि व्यय करने के कारण ₹547.79 लाख वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण परिशिष्ट "ङ" (1 से 3) में दिया गया है।

डिपाजिट कार्यों पर कुल जमा/प्राप्त राशि से अधिक व्यय करना एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि हिमुडा स्वयं उच्च दरों पर ऋण प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य करता है। अतः अनियमितता हिमुडा प्रबन्ध मण्डल के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके तथा हिमुडा को डिपाजिट कार्यों पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण ब्याज के रूप में होने वाली हानि से पूर्णतया रोका जा सके। उपरोक्त वर्णित अधिक व्यय की राशि की वसूली सम्बन्धित विभाग से करना सुनिश्चित करें।

7 (क) रख–रखाव प्रभार के ₹17799907/– दिनांक 31.3.13 तक वसूली हेतु शेषः–

हिमुडा मण्डल धर्मशाला के अधीन विभिन्न आवासीय कलौनियों से सम्बन्धित अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन परिसरों से दिनांक 31.3.13 तक ₹17799907/– वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का कलौनी वार विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	कलौनी का नाम	डपमण्डल का नाम	दिनांक 31.3.13 को वसूली योग्य राशि
1	आवासीय कलौनी देहरा, जिला काँगड़ा	उप मण्डल धर्मशाला–I	588945
2	आवासीय कलौनी काँगड़ा	धर्मशाला–I	2258404
3	पी0एस0एफ0 सिद्धपुर	धर्मशाला–II	267288
4	पी0एस0एफ0 खनियारा	धर्मशाला–II	109672
5	आवासीय परिसर होल्टा	पालमपुर	5410676
6	पी0एस0एफ0 विन्द्रावन	पलमपुर	246096
7	आवासीय कलौनी लोहना	पलमपुर	73629
8	आवासीय कलौनी रक्कड़ ऊना	ऊना	8742310
9	आवासीय कलौनी बंगाणा ऊना	ऊना	102887
		कुल	**17799907**

उपरोक्त विवरण के अवलोकन से स्वतः ही स्पष्ट है कि मण्डल द्वारा विभिन्न आवासीय परिसरों से रख–रखाव प्रभार की वसूली ठीक ढ़ंग से नहीं की जा रही है और न ही इतनी अधिक राशि की वसूली हेतु उचित एवं कारगर कदम उठाए जा रहे है। अतः यह मामला हिमुडा प्रबन्धन के विशेष ध्यान में आगामी उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(ख) रख–रखाव प्रभार की कुल वसूली योग्य राशि में से ₹13590639/– सरकारी विभागों से शेषः–

क्र0सं0	करदाता का नाम	घर सं0	उपमण्डल/कलौनी	राशि
1	Excutive Engineer HPPWD (B&R) Kangra	3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13=8	काँगड़ा	981393
2	Executive Engineer	HIG-II 6, 14–37, 39, 42, 45, 46, 47, 48	काँगड़ा	1128207
3	Excutive Engineer HPPWD Dehra	H.No. 12, 13, 14, 15, 29, 30, 31	देहरा	361798
4	Excutive Engineer HPPWD Dehra	16, 17, 18, 19	देहरा	177040
5	S.E. 5th circle HPPWD, Palampur	39, 40, 42	होल्टा	1425012
6	Director, CSIR Palampur	44	होल्टा	48203
7	Director, CSIR Palampur	47, 48	होल्टा	186467
8	Chief Ehgineer HPPWD Palampur	65, 68	होल्टा	830132
9	Director, CSIR Jammu	87, 88, 90–93	होल्टा	306658
10	S.E. HPPWD, Palampur	2, 3	होल्टा	1182318
11	Excutive Engineer	9, 10, 19, 20 23,	ऊना	3344520

	HPPWD Una	24, 29, 30		
12	E.E. HPPWD (B&R)	39 से 44	ऊना	534711
13	Excutive & Taxation officer, Una	76, 77, 80, 81, 147, 148, 187, 188, 198, 199, 204, 205, 208, 209, 210, 193, 194	ऊना	59143
14	E.E. HPPWD (B &R) Una	HIG (H) 89, 90, 111–115, 122, 124–129	ऊना	1231713
15	-do-	91–110, 116, 121	ऊना	1459002
16	E.E. T&PH Div. Una	LIG 211, 241 से 246	ऊना	134787
17	S.E. I& PH Circle office, Una	HIG-I 21– 24	ऊना	99887
18	A.E. I & PH, Div. Mehatpur	54 Deluxe-H	ऊना	35118
19	C.M.O Una	PHC, Rakkar	ऊना	63984
				13590639

अतः उपरोक्त राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाया जाना सुनिश्चित करें ताकि मण्डल की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

(ग) रख–रखाव प्रभार के रूप में ₹2406550/– केवल 33 निजी कर दाताओं से वसूली योग्य शेषः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ₹2406550/– 33 करदाताओं से वसूल करने शेष है जो कई वर्षों से कर की अदायगी नहीं कर रहे जबकि इसके एवज में मण्डल द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का भरपूर उपयोग कर रहे है। अतः इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करके रख–रखाव प्रभार की शत प्रतिशत वसूली करना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	करदाता का नाम	घर सं0	उपमण्डल कलौनी	राशि
1	Smt. Sarita Thapar	HIG-II H.No. 65	काँगड़ा	48276
2	Sh. Manju Grover	HIG-II Flat No. 43	काँगड़ा	43091
3	Sh. V.P. Sharma	MIG-I H.No. 22	काँगड़ा	30466
4	Er. V.N. Sharma	H.No. 13	विन्द्रवान	60188
5	Sh. Rajinder Singh Kaushal	H.No. 95	विन्द्रवान	28160
6	Sh. Satish Kr. Sharma	H.No. 135	विन्द्रवान	27238
7	Sh. S.C. Vyas	Plot No. 6	होल्टा	95094
8	Sh. Vimal Chand Katoch	Plot No. 7	होल्टा	87289
9	Sh. Rajinder Singh	Plot No.12	होल्टा	95680
10	Smt. Adarsh	Plot No. 20	होल्टा	225119
11	Dr. K.K. Parmar	Plot No.52	होल्टा	329738
12	Smt. Sudesh Kapil	Plot No. 49	होल्टा	62636
13	Sh. Ramesh Rana	Plot No. 84	होल्टा	29642
14	Dr. Sharda Singh & Dr. Yudhvir Singh	Plot No.52 A	होल्टा	68310
15	Sh. Ranjit singh	MIG-I (H) 18	ऊना/रक्कड़	92566
16	Sh. Sudershan Singh	MIG-I (H) 37	ऊना/रक्कड़	76313
17	Sh. Mangat Ram	LIG-I (H) 46	ऊना/रक्कड़	83154
18	Sh. Ashwani Sharma	HIG-I (H) 71E	ऊना/रक्कड़	38720
19	Miss Sucheta	MIG-II 268	ऊना/रक्कड़	87155
20	Sh. Krishan Chand	MIG-II 286	ऊना/रक्कड़	113409
21	Sh. Ranjit Krishan	HIG-290	ऊना/रक्कड़	59021
22	Smt. Sudesh Kumari	MIG-(H) 300	ऊना/रक्कड़	40358
23	Sh. Gurdass Ram	T-III (H) 311	ऊना/रक्कड़	77315
24	Sh. Virander Sharma	MIG-72 B	ऊना/रक्कड़	33832

25	Smt. Suman Sharma	MIG-72 C	ऊना / रक्कड़	41761
26	M/S Him cylinder Ltd	HIG-4, Ph-III	ऊना / रक्कड़	107826
27	Smt. Kushum Lata	HIG-F-26	ऊना / रक्कड़	41027
28	Dr. Narinder Bharat	HIG-I-31	ऊना / रक्कड़	38420
29	M/S Him cylinder Ltd.	HIG-II 50, 60, 61	ऊना / रक्कड़	84869
30	Sh. Rajesh Parashar	HIG-II 51	ऊना / रक्कड़	45555
31	Smt. Santosh Kumari	HIG-62, Ph-III	ऊना / रक्कड़	27217
32	Smt. Pushpinder Kanr Dugge	HIG-Deluxe 63	ऊना / रक्कड़	49366
33	Sh. Nirmal Singh	HIG-D-24	बंगाणा	37739
			कुल राशि	**2406550**

(घ) ₹2573/–का रख–रखाव प्रभार के रूप में कम मांग करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्नलिखित करदाताओं से कर की कम मांग की गई थी। अतः खाताबहियों में इनकी सही राशि लिखकर संशोंधित बिल जारी करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में प्रत्येक करदाता की सही कर की गणना करना भी सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	करदाता का नाम	घर सं0	कलौनी का नाम	खाता वही सं0	कम मांग की गई राशि
1	Sh. Amit Rana	–	ऊना Ph-III	Ledger-III P-113	599
2	Sh. Ragdish Dhiman	–	ऊना Ph-IV	Ledger-I P-195	31
3	Sh. Ram Krishan		ऊना Ph-IV	Ledger-I P-130	48
4	Dr. Saroj Aggarwal	HIG-6 (P)	बंगाणा	–	1895
					2573

8 विभिन्न आवासीय कलौनियों से जल प्रभार के रूप में ₹672706/– दिनांक 31.03.13 तक वसूली हेतु शेषः–

हिमुडा मण्डल धर्मशाला के अन्तर्गत विभिन्न आवासीय परिसरों के जल प्रभार के अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन परिसरों के जल उपभोक्ताओं से दिनांक 31.3.13 तक ₹672706/– वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का परिसर वार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	परिसर का नाम	उपमण्डल का नाम	दिनांक 31.3.13 को वसूली योग्य राशि
1	पी0एस0एफ0 सिद्धपुर	धर्मशाला–II	421452
2	आवासीय कलौनी काँगड़ा	धर्मशाला–I	91892
3	आवासीय कलौनी लोहना	पालमपुर	17550
4	पी0एस0एफ0 विन्द्रावन	पालमपुर	53559
5	पी0एस0एफ0 खनियारा	धर्मशाला–II	–
6	आवासीय परिसर रक्कड़	ऊना	84489
7	आवासीय परिसर बंगाणा	ऊना	3764
		कुल राशि	**672706**

अतः शेष जल प्रभार की राशि ₹672706/–' की वसूली के लिए मण्डल समुचित कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें।

(ख) पी0एस0एफ0 खनियारा की जल प्रभार की बकाया सूची अंकेक्षण में उपलब्ध न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पी0एस0एफ0 खनियारा की जल प्रभार की बकाया सूची उपलब्ध नहीं करवाई गई इसके लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या 193 दिनांक 04.01.14 द्वारा अनुरोध भी किया गया था लेकिन बार–बार अनुरोध पर भी सूची उपलब्ध नहीं करवाई गई जिससे यह ज्ञात होता है कि उपलब्ध के द्वारा इसके सम्बन्धित लेखें तैयार ही नहीं किए गये थे जोकि एक चिन्ता का विषय है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अपेक्षित अभिलेख अब तैयार करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ग) ₹2725/– जल प्रभार के रूप में कम मांग करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्नलिखित करदाताओं से कर की माँग कम की गई थी। अतः खाताबहियों में इनकी सही राशि लिखकर संशोधित बिल जारी करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में प्रत्येक करदाता की सही कर की गणना करना भी सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	करदाता का नाम	खाता सं0	कलौनी का नाम	कम मांग की गई राशि
1	श्रीमती कृष्णा शर्मा	डी–108	बंगाणा	1158
2	श्री डब्लयू0आर0 धीमान	डी–48 Ph-III	बंगाणा	1567
				2725

(घ) अंकेक्षण के दौरान पाया कि खाता संख्या डी–2, H.No. MIG-12 श्रीमती सरिष्टा सिंह ठाकुर को दिनांक 14.11.2011 के पश्चात जल प्रभार का बिल जारी ही नहीं किया गया था। अतः इसे बिल जारी करना सुनिश्चित करें एवं अन्य खाताधारकों को भी सम्पूर्ण अवधि के बिल जारी करना भी सुनिश्चित करें।

9 ₹822600/– का संदिवाकार को न्याय संगत दरों से अधिक दरों के भुगतान एवं गलत गणना के फलस्वरूप अधिक भुगतानः–

कार्य का नामः–	C/O ITI Building at Garhjamula
Estimated Cost	₹17586805
Justification	89-79% above civil work 268-17% above WS & SI
Awaeded Amount	₹29086856@& 64.34% above civil work 279.71% above WS & SI
Award letter No.	No. HIMUDA/DD/CB/W-7/2007/7444-51Dt. 02.02.10
Agreement No.	41 of 2008-09
Name of Contractor	Sh. K.N. Sharma
Measurement Books	1569, 1570, 1571, 1641, 1642

उपरोक्त निर्माण कार्य के विभिन्न चलित बिलों की जाँच पड़ताल के दौरान निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) ₹528322/– का संविदाकार को अनुचित लाभः–

अंकेक्षण में उपरोक्त कार्य की न्याय संगत दरों की जाँच के दौरान पाया कि कार्य को संविदाकार के पक्ष में अवार्ड के समय मुख्य मदों की न्यायसंगत दरों को नजर अन्दाज किया गया था एवं संविदाकार को न्यायसंगत दरों से अधिक दरों का भुगतान करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जबकि पत्र संख्या HIMUDA/DD/CB/W-7/2007/6296-97 दिनाँक 03.12.09 द्वारा अधिशासी अभियन्ता (धर्मशाला मण्डल) द्वारा अधीक्षण अभियन्ता को अवगत करवाया था कि संविदाकार की दरें अधिक थी एवं संविदाकार को Negotitation के लिए आमन्त्रित करना चाहिए था लेकिन बिना नेगोसेशन किए संविदाकार को कार्य उच्च दरों पर अवार्ड कर दिया गया जिससे विभाग को 9वें चलित बिल तक ₹528322/– का अधिक भुगतान किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं जाँच पड़ताल करके उचित स्त्रोत से इसकी वसूली करना भी सुनिश्चित करें। अधिक भुगतान का विवरण इस प्रकार से हैः–

क्र0सं0	मद सं0	माप पुस्तिका	9वें चलित बिल तक निष्पादित मात्रा	न्याय संगत दरें	भुगतान की गई दरें	अधिक भुगतान
1	(8) P/L Mechanically mixed vibrated reinforcement contract (b) Suspendeed floor (3) Coulmn pillor	1642/37 1642/37	789.37m3 247.43m3	2793.80 2805.30	2897 2997	81462.98 47432.33
2	(9) P/L Mechanically mixed vibrated reinforcement contractor chajja	1642/37	14.69m3	7631.85	8787	16969.15
3	(18) Providing wood work in frame	1642/39	32.839m3	58958.90	67007	264291.56

	of.door/windows etc.					
4	(19) P/F chamfered edged cover fille etc	1642/39	1943.88 RMT	55.80	77	41210.25
5	(37) 50mm thick cement concrete flooring 1:2:4	1642/41	411.32m2	188.95	207	7424.32
6	(38) 25mm thick cement concrete flooring 1:2:4	1642/41	327.98m2	119.05	167	15726.64
7	(72) Applying one coat of cement printer putty	1642/45	9872.52 m2	21.55	27	53805.23
						528322.46

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया कि उपरोक्त कार्य के द्वितीय बिल में ही ₹1039544/– की दो मदों कमशः (i) Sutting in earth work (ii) Extra for carriage to earth work etc का निष्पादन "Extra items" के रूप में किया गया था जबकि इन मदों को सक्षम अधिकारी की अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकता था। अतः Estimate तैयार करते समय इन मदों को न लेने का औचित्य स्पष्ट करें। यदि इन मदों को Estimate में लिया होता तो इन मदों पर प्रतिस्पर्धादित दरें मिल सकती थी। अतः इससे यह स्पष्ट है कि इन मदों को Estimate में न लेकर संविदाकार को परोक्ष रूप में अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। यह प्रकरण प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(ग) मिट्टी की खुदाई (cutting in earth work) में निकले आरडिनरी क्वारीड स्टोन (Ordinary Quarriel Stone) की भण्डार प्रविष्टि एम0ए0एस0 रजिस्टर में न लेने के फलस्वरूप ₹244670/– की वित्तीय हानिः–

उपरोक्त कार्य के निष्पादन के दौरान अतिरिक्त मद "Cutting in earth work" में ₹8757.60 घन मीटर मिट्टी की खुदाई हेतु ₹600771.36 का भुगतान संविदाकार को किया गया था। खुदाई में निकले पत्थरों की वसूली न तो संविदाकार को पत्थर जारी करके की गई थी और न ही पत्थरों को एम0ए0एस0 रजिस्टर में दर्ज किया गया था। मान्य सिद्धान्त के अनुसार मिट्टी की खुदाई का न्यूनतम 10% भाग आरडिनरी क्वारीड स्टोन/पत्थरों के रूप में लिया

जाना अपेक्षित था। इस प्रकार कुल मिट्टी की खुदाई 8757.60 घन मीटर का 10**%** भाग जो 875.76 घन मीटर बनता है। उपरोक्त प्रकरण में निम्न विवरणानुसार वित्तीय हानि हुई हैः–

एच0पी0एस0आर0 1999 अनुसार, आर्डिनरी क्वारीड स्टोन की निर्धारित दर ₹170/– प्रति घन मीटर

ओवरआल प्रीमियम 64.34ः

कुल दर प्रति घन मीटर 170+64.34**%**=279.38

इस प्रकार 875.76 घन मीटर पत्थरों का कुल मूल्य 875.76x279.38=₹244670 की हानि हुई है जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

(घ) मद संख्या 3, Providing from work (f) Beam, Cantilivers etc में ₹1370/– का अधिक भुगतानः–

माप पुस्तिका 1569 कर रिकार्ड प्रविष्टियों के निरीक्षण में पाया कि मद संख्या 3, Providing from work (f) Beam, comtilylivers etc की कुल मात्रा 123.75एम3 माप पुस्तिका 1569 के पृष्ठ 38 में दर्ज की गई थी जबकि तृतीय चलित बिल में इसका भुगतान 133.75 एम2 मात्रा का माप पुस्तिका 1570 पृष्ठ 11 में किया गया था। अतः 10एम2 @₹137 per m2 के अनुसार ₹1370/– का भुगतान अधिक किया गया था। अतः इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

(ङ) स्टील वर्क में ₹2352/– का अधिक भुगतानः–

माप पुस्तिका 1571 की जाँच में पाया कि पृष्ठ संख्या 22 में 20एमएम की स्टील 22. 80 आरएमटी अधिक ली गई थी अर्थात 2x14x0.20=5.60RMT के स्थान पर 28.40 आरएमटी की मात्रा दर्ज की गई थी। इस प्रकार 22.80 आरएमटीx2.47=56.32 किलोग्राम स्टील का भुगतान तृतीय चलित बिल में माप पुस्तिका 1570 के पृष्ठ 14 में ₹2352.48 (56.32x41.77) अधिक किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

(च) पेंटिंग वर्क में ₹11259/– का अधिक भुगतानः–

9वें चलित कार्य बिल की जाँच में पाया कि प्लास्टर वर्क की मद में 11071.76 एम2 मात्रा का निष्पादन किया गया था जिसका विवरण इस प्रकार से हैः–

क्र0सं0	माप पुस्तिका	मद का नाम	निष्पादित मात्रा
1	M.B. 1642 Page 44	6MM cement plaster 1:3 in ceiling	3874.39m2
2	M.B.-1642 Page-45	15mm cement plaster 1:6 in fair side	3814.34m2
3	M.B.-1642 Page-45	20mm cement plaster in rough side	3383.03m2
		कुल मात्रा	**11071.76m2**

जबकि पेन्टिग वर्क में ₹11489.20एम2 मात्रा का निष्पादन इस प्रकार किया गयाः–

क्र0सं0	माप पुस्तिका	मद का नाम	निष्पादित मात्रा
1	M.B. 1642 Page 45	Destempring two coat with oil bond	9320.49 m2
2	M.B.-1642 Page-45	Painting wall with apex paint two coat	2168.71 m2
		कुल मात्रा	**11489.20m2**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जब पेन्टिग वर्क के लिए कुल सतह (Surface) 11071. 76m2 उपलब्ध था तो इससे अधिक मात्रा पर पेन्टिग वर्क का निष्पादन कैसे किया जा सकता था। अतः इससे स्पष्ट है कि 417m2 मात्रा का निर्धारण पेन्टिग वर्क के लिए अधिक किया गया था। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक किये गये भुगतान ₹27/– per m2 की दर से ₹11259/– (27X417) उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

(छ) मद संख्या 72 "Applying one coat of cement primer/putty of approved brand" की मात्रा की गलत गणना के कारण ₹14330/– का अधिक भुगतानः–

माप पुस्तिका 1571 पृष्ठ संख्या 100 में उपरोक्त मद की मात्रा की जाँच में पाया कि इस मद की मात्रा का माप दो बार किया गया था अर्थात 530.73 m2 मात्रा का माप cement primer एवं 530.73m2 मात्रा का माप Putty के लिए किया गया था जबकि इस मद की दर का निर्धारण cement primer एवं putty दोनों के लिए किया गया था एवं न्याय संगत दर भी cement primer एवं Putty के लिए ₹21.55 per m2 निर्धारित की गई थी। इस प्रकार ₹14329.71 (530.73m2x27) का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया था जिसकी वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

(ज) स्टील का गलत फैक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹20297/– का अधिक भुगतानः–

उपरोक्त वर्णित निर्माण में प्रोवाईडिंग टी0एम0टी0 स्टील रिइनफोरसमैन्ट के करवाए गये कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि 8 एम0एम0 टी0एम0टी0 स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रतिमीटर के लिए 0.395 कि0ग्रा0 का फैक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि उचित गणना 0.39 कि0ग्रा0 प्रति मीटर का फैक्टर लगाया जाना अपेक्षित था। निम्नविवरणानुसार संविदाकार को गलत फैक्टर लगए जाने के कारण 485.92 किलोग्राम अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹41.77 प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से ₹20297/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

माप पुस्तिका	गणना जो की गई (0.395 फैक्टर द्वारा)	सही गणना (0.39 फैक्टर द्वारा)	अधिक गणना
1571 पृष्ठ–26	8414.82x.395=3323.85	8414.82x0.39=3281.77	42 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–30	6269.75x.395=2476.55	6269.75x.39=2445.20	31.34 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–34	5388.63x.395=2128.50	5388.63x.39=2101.57	26.93 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–36	5824.20x.395=2300.56	5824.20x.39=2271.44	29.12 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–38	4082.05x.395=1612.40	4082.05x.39=1591.99	20.41 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ– 41	4641.21x.395=1833.28	4641.21x.39=1810.07	23.21 कि0ग्रा0

1571 पृष्ठ–43	2810.10x.395=1109.99	2810.10x.39=1095.94	14.05 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–44	6520.80x.395=2575.72	6520.80x.39=2543.11	32.61 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–45	125.40x.395=49.53	125.40x.39=48.91	.62 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–48	4107.11x.395=1622.31	4107.11x.39=1601.77	20.54 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–50	4162.35x.395=1644.13	4162.35x.39=1623.32	20.81 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–56	5754.15x.395=2272.89	5754x.39=2244.12	28.77 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–59	3788.25x.395=1496.36	3788.25x.39=1477.42	18.94 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–62	5175.05x.395=2044.14	5175.05x.39=2018.27	25.87 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–63	215.70x.395=85.20	215.70x.39=84.12	1.08 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–65	3792.43x.395=1498.40	3792.43x.39=1479.05	19.35 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–68	3996.95x.395=1578.80	3996.95x.39=1558.81	19.99 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–74	1803.77x.395=712.49	1803.77x.39=703.47	9.02 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–77	3450.05x.395=1362.77	3450.05x.39=1345.52	17.25 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–80	1939x.395=765.91	1939x.39=756.21	9.70 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–81	1075.55x.395=424.84	1075.55x.39=419.46	5.38 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–83	1178.80x.395=465.63	1178.80x.39=459.73	5.90 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–84	136.30x.395=53.84	136.30x.39=53.16	.68 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–88	5442.38x.395=2149.74	5442.38x.39=2122.53	27.21 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–88	742.50x.395=293.29	742.50x.39=289.58	3.71 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–89	258.95x.395=102.29	258.95x.39=100.99	1.30 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–91	4924.05x.395=1944.99	4924.05x.39=1920.38	24.61 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–92	847.88x.395=334.91	847.88x.39=330.67	4.24 कि0ग्रा0
1571 पृष्ठ–93	255.34x.395=100.86	255.34x.39=99.58	1.28 कि0ग्रा0
		कुल	**485.92 कि0ग्रा0**

10 **₹390181/–का संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतानः–**

कार्य का नामः– C/O staff Quarter for employees of HIMUDA Division, Dharamshala

संविदाकार का नामः– श्री डी0डी0 दत्ता

चलत बिल		चतुर्थ चलत बिल

वाऊचर संख्या		64 माह जून 2012

अनुमानित लागत		₹1859421/–

आंबटित कार्य राशिः–	₹3534839/– vide letter No. HIMUDA/DD/CB/00-7/2007/1915-82 दिनांक 20.7.09

माप पुस्तिकाः–		1459, 1522, 1599

उपरोक्त कार्य के चतुर्थ चलत बिल की जाँच पडताल में निम्न आपत्तियाँ दर्ज की गई जिनका विवरण इस प्रकार से हैः–

(क) 10एमएम स्टील की अधिक खपत के फलस्वरूप अनुबन्ध की क्लॉज–42 के अनुसार ₹36697/– की वसूली करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि स्टील का कार्य तीसरे चलित बिल तक पूर्ण हो चुका था एवं स्टील का समायोजित खाता संविदाकार के द्वारा तृतीय चलत बिल में जमा कर दिया गया था एवं जाँच में पाया गया कि 10एमएम स्टील का सैन्द्धातिक उपयोग (Teeoritical Consumption) 897.84 किलोग्राम रिकार्ड किया गया था एवं तृतीय बिल तक 10एमएम की 1380 किलोग्राम स्टील जारी किया गया था जो कि अनुबन्ध की क्लॉज–42 के अनुसार बहुत अधिक था। क्लॉज–42 के अनुसार सैद्धान्तिक उपयोग से 10**%** अधिक तक मान्य है लेकिन इस कार्य में 392.46 किलोग्रा0 (1380–897.54+90) 10एमएम की स्टील की खपत अधिक की गई थी। अतः इस बारे अधिशासी अभियन्ता, मण्डल धर्मशाला को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 177 दिनांक 16.12.13 द्वारा अवगत करवाया गया था लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अब इसकी वसूली उचित स्त्रोत से क्लॉज–42 के अनुसार दण्ड दर (Panel rate) के अनुसार ₹36697/– (392.46x(2x46.752) करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

(ख) अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अनुसार कार्यवाही न करने के फलस्वरूप ₹353484/– की आर्थिक हानिः–

उपरोक्त कार्य के सम्पूर्ण निष्पादन हेतु कार्य विस्तार अन्तिम बार पत्र संख्या HIMDA/DD/AB/Memo file/2010/8089–90 दिनांक 22.03.12 द्वारा दिनांक 31.3.12 तक प्रदान किया गया था लेकिन अंकेक्षण में पाया कि दिनांक 31.03.12 तक भी कार्य का पूर्ण निष्पादन नहीं हो पाया था जोकि प्रमाण के रूप में पत्र संख्या HIMUDASD/DMA/Staff /amp DMA/12/357-58 दिनांक 02.07.12 से स्पष्ट होता है जिसमें सहायक अभियन्ता ने संविदाकार को दिनांक 16.07.12 तक कार्य पूर्ण करने हेतु निवेदन किया था। अतः संविदाकार द्वारा समय पर समाप्त न किए जाने की स्थिति में अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी। अनुबन्ध की क्लॉज–2 में दिए गये प्रावधान के अनुसार यदि संविदाकार आंबटित समय में कार्य का निष्पादन नहीं करता है तो अनुमानित टैण्डर राशि का 10**%** भाग के बराबर क्षतिपूर्ति के रूप में दण्ड लगाया जाना अपेक्षित था अर्थात उक्त कार्य की टैण्डर राशि ₹3534839/– का 10**%** जो ₹353484/– बनता हैं परन्तु हिमुडा मण्डल धर्मशाला द्वारा अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई थी तथा इस प्रकार की कार्यवाही न करके संविदाकार को ₹353484/– का अनुचित लाभ पहुंचाया गया है व हिमुडा को इस प्रकार ₹353484/– की सम्भावित हानि हुई है जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹353484/– की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

11 ₹137970/–का संविदाकार को अनियमित भुगतानः–

निर्माण कार्य का नामः–	C/O School building in G.S.S,.S. upper Kothi
अनुमानित राशि	₹4487417/–
आंबटित कार्य राशि	7163690.34 vide award letter No. HIMUDA/DD/CB/W-7/2007-5175-82 dt. 6.10.09
संविदाकार का नाम	श्री पुरूषोत्तम चौधरी
चलित बिल	पांचवा चलित बिल

वाउचर संख्या 136 माह जून 2012

माप पुस्तिका 1572, 1573

उपरोक्त वर्णित बिल की जाँच पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई।

(क) समझौता वार्ता (Negotiation) न करने के परिणाम स्वरूप संविदाकार को ₹134970/– का अनुचित लाभः–

अंकेक्षण में पाया कि संविदाकार द्वारा उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु अधिकतर मदों की दरें न्यायसंगत दरों से अधिक भरी गई थी एवं इन दरों को कम करने के लिए समझौता वार्ता (Negotiation) की जानी अपेक्षित थी लेकिन ऐसा न करके संविदाकार को ₹134970/– का परोक्ष रूप में अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए कि निम्न मदों की दरों को कम करने के लिए नेगोशिएसन क्यों नहीं की गई अन्यथा इसका दायित्व निर्धारित करना सुनिश्चित करें। नेगोशिएसन के लिए अपेक्षित मदों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	मद सं0	माप पुस्तिका	5वें चलित बिल तक निष्पादित मात्रा	न्याय संगत दरें	भुगतान की गई दरें	अधिक भुगतान
1	(2)Excavation in foundation & trenches	1573/40	504.07 m3	116.90	125	4082.97
2	8 (a) P/L CC 1:2:4 Foundation, Footing bases of column	173/42	80.77m3	2749.95	2800	4042.54
3	8 (b) suspended floor, roofs and landing	1573/43	231.88m3	2773.05	2800	6249.17
4	(13) Providing or plaster drip	1573/44	234.21m2	15	20	1171.05
5	(16) wire crales of	1573/45	146.87m3	553.30	575	3187.08

	GI wire					
6	(20) P/F 40mm thick single/double paneled glazed window shutter	1573/45	165.69m2	1586.15	2100	85139.81
7	(22) P/F wire guage shutters 40mm thick 2nd class deodar wood	1573/46	54.31m2	1556.80	1650	5061.69
8	(41) 6MM cement plaster (i) M Cement mortar 1:4	1573/50	1053.82m2	53	60	7376.74
9	(42) 15MM cement plaster 1:6	1573/50	1219.50m2	76.85	85	9938.93
10	(46) Applying one coat of cement primer/putty	1573/51	1321.27m2	23.40	30	8720.38
						134970.36

(ख) स्टील का गलत फैक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹2933/—का अधिक भुगतानः—

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में प्रोवाईडिंग टी0एम0टी0 स्टील रिईन्फोर्समैन्ट हेतु करवाये गए कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि 8 एम0एम0टी0एम0डी0 स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रति मीटर के लिये 0.395 किलोग्राम का फैक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि उचित गणना हेतु 0.39 किलोग्राम प्रतिमीटर का फैक्टर लगाया जाना अपेक्षित था। निम्न विवरणानुसार संविदाकार को गलत फैक्टर लगाये जाने के कारण 71.53 किलोग्राम स्टील की अधिक ली गई मात्रा हेतु

अनुबन्धित दर ₹41/–प्रति कि0ग्रा0 की दर से ₹2933/–का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके, अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

माप पुस्तिका	**गणना जो की गई (0.395 का फैक्टर द्वारा)**	**सही गणना (0.395 का फैक्टर द्वारा)**	**अधिक गणना**
1572/9	1677.78x.395=662.72	1677.78x.39=654.33	8.39 कि0ग्रा0
1572/20	2037x.395=804.62	2037x.39=794.33	10.19 कि0ग्रा0
1572/28	927.63x.395=366.41	927.63x.39=361.78	4.63 कि0ग्रा0
1572/31	1075.20x.395=424.70	1075.20x.39=419.33	5.37 कि0ग्रा0
1572/35	1394.80x.395=550.95	1394.80x.39=543.97	6.98 कि0ग्रा0
1572/40	1048.15x.395=414.01	1048.15x.39=408.78	5.23 कि0ग्रा0
1572/47	1144.43x.395=452.05	1144.43x.39=446.33	5.72 कि0ग्रा0
1572/51	127.80x.395=50.48	127.80x.39=49.84	.64 कि0ग्रा0
1572/54	1425.60x.395=563.11	1425.60x.39=555.98	7.13 कि0ग्रा0
1572/59	1001.62x.395=395.64	1001.62x.39=390.63	5.01 कि0ग्रा0
1572/66	1295.43x.395=511.69	1295.43x.39=505.22	6.47 कि0ग्रा0
1572/69	278.10x.395=109.85	2718.10x.39=108.46	1.39 कि0ग्रा0
1572/71	811.58x.395=320.57	811.58x.39=316.52	4.05 कि0ग्रा0
1572/75	65.10x.395=25.71	65.10x.39=25.39	0.33 कि0ग्रा0
		कुल अधिक मात्रा	71.53 कि0ग्रा0

12 अनुबन्ध की क्लॉज–17 में निर्धारित अवधि से पूर्व जमानत राशि लौटाने के फलस्वरूप संविदाकार को अनुचित लाभः–

अंकेक्षण में पाया कि हिमुडा के मण्डल धर्मशाला द्वारा संविदाकार की जमानत राशि को लौटाते समय अनुबन्ध की क्लॉज–17 को नजर अन्दाज किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप जून माह के वाउचर संख्या 127 की जाँच में पाया कि कार्य C/O 2 Nos class room at G.S.S.S Dhoop Kyara (Kanga) के निर्माण कार्य के एवज में रखी गई जमानत राशि ₹46440/– दिनांक 19.6.12 को लौटा दी गई थी जबकि यह राशि अनुबन्ध की क्लॉज–17

के अनुसार दिनांक 05.07.12 को देय थी। अतः इस प्रकार संविदााकर को मण्डल द्वारा अनुचित लाभ प्रदान किया गया। इस बारे अधिशासी अभियन्ता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 175 दिनांक 16.12.13 द्वारा सूचित किया गया था लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इसके अतिरिक्त माप पुस्तिका 1574 पृष्ठ 74 में किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा जमानत राशि लौटाने सम्बन्धित सत्यापन भी नहीं की गई थी। अतः इस बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये एवं भविष्य में अनुबन्ध की क्लॉज के प्रावधानों के अनुसार ही कार्य करना सुनिश्चित करें।

13 ₹326490/–का संविदाकार को अनियमित भुगतानः–

कार्य का नाम	C/O ITI Building at Dadasiba
अनुमानित राशि	₹11935609/–
आंबटित कार्य राशि	18999333 vide letter No. HIMUDA/DD/CB/w-7/2007/8214-21 दिनांक 10.3.10
संविदाकार का नाम	श्री ओम प्रकाश
वाऊचर संख्या	15 माह जून 2012
माप पुस्तिका	1526, 1534, 1536

उपरोक्त कार्य की जाँच पर निम्नलिखित अनियमितताए ंपाई गईः–

(क) संविदाकार को ₹490/– का अधिक भुगतानः–

जाँच में पाया कि उपरोक्त कार्य के पाँचवें चलत बिल में मद "Brick work using 2nd class common pruit 1:6" की रिकार्ड प्रविष्टि माप पुस्तिका 1534 पृष्ठ 96 में 0.77 एम3 की गई थी जबकि वास्तव में यह 0.63 m3 (1/2x2x3.45x0.23x0.80) बनती थी। इस प्रकार 0. 14 m3 मात्रा का भुगतान ₹3500/– per m3 की दर से ₹490/– माप पुस्तिका 1536 पृष्ठ 49 में अधिक किया गया था जिसकी वसूली संविदाकार से करना सुनिश्चित करें।

(ख) समझौता वार्ता (Negotiation) न करने के परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹305851/– का अनुचित लाभः–

अंकेक्षण में पाया कि संविदाकार द्वारा उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु अधिकतर मदों की दरें न्यायासंगत दरों से अधिक भरी गई थी एवं इन दरों को कम करने के लिए समझौता वार्ता (Negotiation) की जानी अपेक्षित थी लेकिन ऐसा न करके संविदाकार को ₹305851/– का परोक्ष रूप में अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए कि निम्न मदों की दरों को कम करने के लिए नेगोशिएसन क्योंकि नहीं की गई अन्यथा इसका दायित्व निर्धारित करना सुनिश्चित करें। नेगोशिएसन के लिए अपेक्षित मदों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	मद सं0	माप पुस्तिका	5वें चलित बिल तक निर्धारित मात्रा	न्याय संगत दरें	भुगतान की गई दरें	अधिक भुगतान
1	(5) P/L CC 1:4:8	1536/47	98.05 m3	1976.50	2300	31719.18
2	(9) P/L Mechanically mixed vibrated (a) Foundations & Footing (b) Suspended floor	1536/47 1536/48	99.88 m3 461.63m3	2751.70 2758.10	3000 3050	24800.20 134749.80
3	(17) Brick work using 2nd class common Cement mortor 1:6 in super strickese	1536/49	364.50m3	3258.50	3500	88026.75
4	(18) Half brick Masonary	1536/50	147.84m2	384.15	410	3821.66
5	(60) 6MM cement plaster in ceiling 1:3	1536/53	1685.71m2	53.90	65	18711.38

6	(16) Brick work using 2nd class in foundation & plinth 1:6	1536/55	13.11m3	3143.20	3450	4022.15
						305851.12

उपरोक्त के अतिरिक्त यह पाया कि इस कार्य में संविदाकार की केवल एक मद की दर से कम करने के लिए नेगोशिएसन की गई जोकि मद संख्या 7 (ii) P/F CI accessories (I) Plain band 75 MM टैन्डर में केवल दो ईकाईयाँ प्रस्तावित थी एवं नेगोशिएसन ₹280/– से ₹150/– प्रति ईकाई की गई थी जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नेगोशिएसन केवल एक दिखावा मात्र था एवं जिन मदों में नेगोशिएसन वान्छित थी उनकी नेगोशिएसन न करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया है।

(ग) स्टील की मद में ₹4380/– का अधिक भुगतानः–

माप पुस्तिका 1535 के पृष्ठ 3 से 96 एवं माप पुस्तिका 1526 के पृष्ठ 14 से 21 की जाँच करने पर पाया कि विभिन्न निर्दिष्टा (Specification) की स्टील की सैद्धान्तिक उपयोग (Theoritical consumption) 92508 किलोग्राम दर्ज की गई थी जबकि संविदाकार को माप पुस्तिका 1536 पृष्ठ 49 में 92608.68 किलोग्राम स्टील का ₹43.50 प्रति किलोग्राम की दर से ₹4028477.58 का भुगतान किया था अर्थात संविदाकार को 100.68 कि0ग्रा0 स्टील का ₹43.50 प्रति कि0 ग्राम की दर से ₹4379.58 का अधिक भुगतान कर दिया गया था। इसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 178 दिनांक 16.12.13 द्वारा दी गई थी लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें। विभिन्न निर्दिष्टा (Specification) की स्टील की सैद्धान्तिक उपयोग (Theoritical consumption) की मात्रा निम्न प्रकार से हैः–

स्टील की निर्दिष्टा	**स्टील की मात्रा**	**माप पुस्तिका**
8 एमएम	29197 कि0ग्रा0	माप पुस्तिका 1535 पृष्ठ 3 से 96 माप पुस्तिका 1526 पृष्ठ 14 से 21
10 एमएम	8761 कि0ग्रा0	
12 एमएम	2722 कि0ग्रा0	
16 एमएम	14403 कि0ग्रा0	
20 एमएम	21583 कि0ग्रा0	

25 एमएम	15842 कि0ग्रा0
कुल मात्रा	**92508 कि0ग्रा0**

(घ) स्टील का गलत फैक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹15769/– का अधिक भुगतानः–

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में प्रोवाईडिंग टी0एम0टी0 स्टील रिइन्फोर्समेन्ट हेतु करवाये गए कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि 8 एम0एम0टी0एम0टी0 स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रतिमीटर के लिए 0.395 कि0ग्रा0 का फैक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि सही गणना 0.39 कि0ग्रा0 प्रतिमीटर का फैक्टर लगाया जाना अपेक्षित था। निम्नविवरणानुसार संविदाकार को गलत फैक्टर लगाये जाने के कारण ₹362.51 कि0ग्रा0 स्टील की अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹43.50 प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से ₹15769/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

माप पुस्तिका	गणना जो की गई (0.395 का फैक्टर द्वारा)	सही गणना (0.39 का फैक्टर द्वारा)	अधिक गणना
1526/14	366.08x.395=144.60	366.08x.39=142.77	1.86 कि0ग्रा0
1526/19	698.52x.395=275.92	698.52x.39=272.42	3.50 कि0ग्रा0
1526/20	568.75x.395=224.66	568.75x.39=221.81	2.85 कि0ग्रा0
1535/3	1496x.395=590.92	1496x.39=583.44	7.48 कि0ग्रा0
1535/5	1722.10x.395=680.23	1722.10x.39=671.62	8.61 कि0ग्रा0
1535/6	614.55x.395=242.75	614.55x.39=239.67	3.08 कि0ग्रा0
1535/10	3989.20x.395=1575.73	3989.20x.39=1555.79	19.94 कि0ग्रा0
1535/11	537.94x.395=212.49	537.94x.39=209.80	2.69 कि0ग्रा0
1535/12	552.50x.395=218.24	552.50x.39=215.48	2.76 कि0ग्रा0
1535/13	640.64x.395=253.05	640.64x.39=249.85	3.20 कि0ग्रा0
1535/19	4511.71x.395=1782.13	4511.71x.39=1759.57	22.56 कि0ग्रा0
1535/20	278.08x.395=109.84	278.08x.39=108.45	1.39 कि0ग्रा0

1535/22	559.68x.39=221.07	559.68x.39=218.28	2.79 कि0ग्रा0
1535/26	3754.58x.395=1483.06	3754.58x.39=1464.29	18.77 कि0ग्रा0
1535/29	1225.75x.395=484.17	1225.75x.39=478.04	6.13 कि0ग्रा0
1535/31	4392.9x.395=1735.20	4392.90x.39=1713.23	21.97 कि0ग्रा0
1535/37	3005.35x.395=1187.11	3005.35x.39=1172.09	15.02 कि0ग्रा0
1535/42	2978.20x.395=1176.39	2978.20x.39=1161.50	14.89 कि0ग्रा0
1535/47	3414.60x.395=1348.77	3414.60x.39=1331.69	17.08 कि0ग्रा0
1535/58	7335.35x.395=2897.46	7335.35x.39=2860.79	36.67 कि0ग्रा0
1535/60	596.15x.395=235.48	596.15x.39=232.50	2.98 कि0ग्रा0
1535/63	1830.04x.395=722.87	1830.04x.39=713.72	9.15 कि0ग्रा0
1535/66	2196.48x.395=867.61	2196.48x.39=856.63	10.98 कि0ग्रा0
1535/72	5389.59x.395=2128.89	5389.59x.39=2101.94	26.95 कि0ग्रा0
1535/75	1803.27x.395=712.29	1803.27x.39=703.27	9.02 कि0ग्रा0
1535/82	6161.55x.395=2433.81	6161.55x.39=2403	30.81 कि0ग्रा0
1535/86	3760.43x.395=1485.37	3760.43x.39=1466.57	18.80 कि0ग्रा0
1535/96	8121.41x.395=3207.96	8121.41x.39=3167.35	40.61 कि0ग्रा0
			362.51 कि0ग्रा0

14 **₹2073658/–का संविदाकार को अधिक/अनुचित भुगतानः–**

कार्य का नाम	C/O Pollytech building at Banikhat
अनुमानित राशि	42775807/– civil work 42417363 ws+SI 358444
आंबटित कार्य राशि	88461597 vide letter No. HIMUDA/DD/CB/W-7/2010/1488-96 dated 11-02-11 civil work 105.64 % above WS&SI 243.31% above
न्याय संगत दरें	civil work 105.49 % above
संविदाकार का नाम	मैसर्ज अलोक बिल्डर्ज
चलित बिल	छठा चलित बिल
वाऊचर संख्या	25 माह जून 2012

माप पुस्तिका 1615, 1616, 1650

उपरोक्त कार्य की जाँच पर निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई।

(क) स्टील वर्क में ₹1355/– का अधिक भुगतानः–

माप पुस्तिका 1650 की रिकार्ड प्रविष्टियों की जाँच में पाया कि पृष्ठ संख्या 32 में 8एमएम की स्टील 1119.10 रनिंग मीटर दर्ज की गई थी जबकि पृष्ठ 32 में यह 1191.10 रनिंग मीटर हस्तांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार माप पुस्तिका 1650 के पृष्ठ 36 में 4939. 90 रनिंग मीटर मात्रा 8एमएम स्टील की ली गई जबकि वास्तव में यह 4867.90 रनिंग मीटर बनती थी। अतः 72 रनिंग मीटर 8एमए स्टील अर्थात 28.44 कि0ग्रा0 (72x0.395) स्टील अधिक ली गई थी एवं संविदाकार को ₹1355/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली संविदाकार से करना सुनिश्चित करें।

(ख) न्याय संगत दरों से अधिक दरों पर कार्य के आंबटन करने के फलस्वरूप ₹63626/– की वित्तीय हानिः–

जाँच में पाया कि उपरोक्त कार्य के सिविल भाग की न्याय संगत दर 105.49% थी जबकि कार्य का आंबटन 105.64% प्रीमियम पर किया गया था अर्थात कार्य का आंबटन करते समय कार्य की न्यायसंगत दरों को नजर अन्दाज करके अत्याधिक दरो पर कार्य का आंबटन कर दिया गया था जिसकी वजह से मण्डल को ₹63626/– की हानि हुई। क्योंकि न्यायसंगत दरों से अधिक दरों पर कार्य का आंबटन करने का कोई औचित्य नहीं थी। अतः न्याय संगत दरों से अधिक दरों पर कार्य का आंबटन करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं। इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 180 दिनांक 17.12.13 द्वारा अधिशासी अभियन्ता से कहा गया था लेकिन कोई कार्यवाही न करने पर स्पष्ट है कि कार्य का आंबटन संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान करने हेतु ही अत्याधिक दरो पर किया गया था।

(ग) समझौता वार्ता (Negotiation) न करने के परिणाम स्वरूप संविदाकार को ₹1783216/– का अनुचित लाभः–

अंकेक्षण में पाया कि संविदाकार द्वारा उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु अधिकतर मदों की दरें न्यायसंगत दरों से अधिक भरी गई थी एवं इन दरों को कम करने के लिए समझौता वार्ता की जानी अपेक्षित थी लेकिन ऐसा न करके संविदाकार को ₹1783216/– का परोक्ष रूप में अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए कि निम्न मदों की दरों को कम करने के लिए नेगोशिएसन क्यों नहीं की गई अन्यथा इसका दायित्व निर्धारित करना सुनिश्चित करें। नेगाशिएसन के लिए अपेक्षित मदों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	मद सं0	माप पुस्तिका	6ठें चलित बिल तक निष्पादित मात्रा	न्याय संगत दरें	भुगतान की गई दरें	अधिक भुगतान
1	(I) Cutting work	1616 पृष्ठ 38 से 47	6374.07m3	120	160	254962.80
2	(II) Excavation in foundation	1616 पृष्ठ 38 से 47	3321-71m3	135	160	83042.75
	(III) Providning form work					
	(a) Foundation & footing	1616 पृष्ठ 38 से 47	424.59m2	60	132	30570.48
	(b) Flat surfaces	1616 पृष्ठ 38 से 47	348.36m2	170	245	26147.00
	(C) Vertical surface	1616 पृष्ठ 38 से 47	384.84m2	150	160	3848.00
	(d) column pillar	1616 पृष्ठ 38 से 47	404.01m2	150	215	26260
	(e) Beam, Cartilivers	1616 पृष्ठ 38 से 47	546.93m2	150	205	30081.15
4	(iv) P/L CC 1:4:8	1616 पृष्ठ 38 से 47	383.68m3	2400	2750	134288

5	(V) P/L CC 1:6:12	1616 पृष्ठ 38 से 47	11.72m3	2200	2375	2051
6	(VI) P/L Mechanically mixed vibrated					
	(a) foundation & footing	1616 पृष्ठ 38 से 47	829.77m3	3600	4275	560094
	(b) Suspanded floor	1616 पृष्ठ 38 से 47	121.40m3	3700	4375	81945
	(c) Coulmn pillar	1616 पृष्ठ 38 से 47	45.47m3	3800	4375	26145
7	(VII) Providing for steel	1616 पृष्ठ 38 से 47	74083.44 Kg	42	47.65	418571
8	(VII) P/L CC 1:8:16	1616 पृष्ठ 38 से 47	6.59m3	1700	2000	1977
9	IX brick work using 2nd class common bront super structure	1616 पृष्ठ 38 से 47	11.87m3	3600	4500	10683
10	(x) Stone filling behind retaining wall	1616 पृष्ठ 38 से 47	26.64m3	600	900	7992
11	(XI) Providing wood work	1616 पृष्ठ 38 से 47	12.832m3	60000	66500	83408
12	(XII) P/L PVC pipe	1616 पृष्ठ 38 से 47	39 rmt	60	90	1170
				कुल राशि		**1783216.18**

उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 180 दिनांक 17.12.13 द्वारा अधिशासी अभियन्ता को सूचित किया गया था लेकिन अंकेक्षण तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे स्पष्ट है कि संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए ही कार्य का आंबटन न्यायसंगत दरों से अधिक दरो पर किया गया था। यह प्रकरण

प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

(घ) मिट्टी की खुदाई (Cutting in earth work) में निकले आरडिनरी क्वारिड स्टोन (ordinary quarried stone) की भण्डार प्रविष्टि एम0ए0एस0 रजिस्टर में न लेने के फलस्वरूप ₹222845/– की वित्तीय हानिः–

उपरोक्त कार्य के निष्पादन के दौरान अनुबन्धित मद "Cutting in earth work" में 6374.07 m3 मिट्टी की खुदाई हेतु ₹1019851/– का भुगतान संविदाकार को किया गया था। खुदाई में निकले पत्थरों की वसूली न तो संविदाकार को पत्थर जारी करके की गई थी और न ही पत्थरों को एम0ए0एस0 रजिस्टर में दर्ज किया गया था। मान्य सिद्धान्त के अनुसार मिट्टी की खुदाई का न्यूनतम 10% भाग आरडिनरी क्वारिड स्टोन/पत्थरों के रूप में लिया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार कुल मिट्टी की खुदाई 6374.07 घन मीटर का 10% भाग जो 637.41 घन मीटर बनता है। उपरोक्त प्रकरण में निम्न विवरणानुसार हानि हुई हैः–

एच0पी0एस0आर0 1999 अनुसार आर्डिनरी क्वारिड स्टोन की निर्धारित दर ₹170 प्रति घन मीटर, आवेरऑल प्रीमियम 105.65 %

कुल दर प्रति घन मीटर 170+105.65 %=349.61

इस प्रकार 637.41 घन मीटर पत्थरों का कुल मूल्य 637.41X349.61=₹222845/– की वित्तीय हानि हुई है जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए एवं उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

(ङ) स्टील का गलत फैक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹2616/– का अधिक भुगतानः–

उपरोक्त निर्माण कार्य में प्रोवाईडिंग टी0एम0टी0 स्टील रिईनफोर्समेन्ट के करवाये गये कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया कि 8एमएम टी0एम0टी0 स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रतिमीटर के लिए 0.395 कि0ग्रा0 का फैक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि सही गणना 0.39 कि0ग्रा0 प्रति मीटर का फैक्टर लगाया जाना अपेक्षित था। निम्न विवरणानुसार संविदाकार को गलत फैक्टर लगाये जाने के कारण 54.90

कि0ग्रा0 स्टील की अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹47.65 प्रति किलोग्राम के हिसाब से ₹2616/– का अधिक भुगतान किया गया था। जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

माप पुस्तिका	**गणना जो की गई (0.395 फैक्टर द्वारा)**	**सही गणना (0.39 फैक्टर द्वारा)**	**अधिक गणना**
1650/55	1387.20x0.395=547.94	1387.20x.39=541	6.94 कि0ग्रा0
1650/36	4939.20x0.395=1950.98	4939.20x0.39=1926.29	24.69 कि0ग्रा0
1650/42	1313.70x0.395=518.91	1313.70x0.39=512.34	6.57 कि0ग्रा0
1650/45	142.80x0.395=56.41	142.80x0.39=55.69	0.72 कि0ग्रा0
1650/52	3196.40x0.395=1262.58	3196.40x0.39=1246.60	15.98 कि0ग्रा0
			54.90 कि0ग्रा0

(च) अग्रिम राशि (Earnest Money) के जब्त करने सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध न करनाः–

जाँच में पाया कि उपरोक्त कार्य के लिए इससे पूर्व भी टैण्डर आमन्त्रित करवाये गये थे जिसमें कार्य का आंबटन मैसर्ज आर0के0 महाजन को पत्र संख्या HIMUDA/DD/CB/W-7/2007/584-90 द्वारा 84% प्रीमियम पर आंबटित किया गया था लेकिन बाद में इस कार्य का आंबटन पत्र संख्या HIMUDA/DD/AB/Memo file/2010-11/5687 दिनांक 01.12.10 द्वारा रदद कर दिया गया था। अतः रदद के कारण, इस प्रक्रिया पर कुल खर्च राशि, एवं इस कार्य के लिए संविदाकार द्वारा जमा अग्रिम राशि (earnest Money) को जब्त करने सम्बन्धित रिकार्ड हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 180 दिनांक 17.12.13 द्वारा अधिशासी अभियन्ता को सूचित किया गया था लेकिन अंकेक्षण के दौरान तक इस बारे कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः इसकी पूर्ण जानकारी आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

15 ₹9601/–का संविदाकार को सम्भावित अधिक/अनियमित भुगतानः–

कार्य का नाम C/O ITI Building at Bangana

संविदाकार का नाम मैसर्ज सुभाष सी0 कुमार

आंबटित कार्य राशि	₹22277212 / – vide letter No. HIMUDA/DD/CB/W-7/2007/7913-20 dated 25-02-10
चलित बिल	द्वितीय चलित बिल
वाउचर संख्या	181 माह जून 2012
माप पुस्तिका	1564, 1565, 1566, 1700

उपरोक्त कार्य के द्वितीय चलत बिल की जाँच पर निम्नलिखित आपत्तियाँ दर्ज की गईः–

(क) स्टील का गलत फैक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹9435 / – का अधिक भुगतानः–

उपरोक्त निर्माण कार्य की जाँच में पाया कि 8एमएम स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय 0.395 का फैक्टर लगाया गया था जबकि सही गणना 0.39 फैक्टर द्वारा की जानी अपेक्षित थी। अतः निम्नविवरणानुसार संविदाकार को गलत फैक्टर के फलस्वरूप 224.65 किलोग्राम स्टील की अनुबन्धित दर ₹42 / –प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से ₹9435 / – का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

माप पुस्तिका	गणना जो की गई (0.395 फैक्टर द्वारा)	सही गणना (0.39 फैक्टर द्वारा)	अधिक गणना
1565 / 58	4586.57x0.395=1811.70	4586.57x0.39=1788.76	22.94 कि0ग्रा0
1565 / 68	17060.42x0.395=6738.87	17060.42x039=6653.56	85.31 कि0ग्रा0
1565 / 73	1448.32x0.395=572.09	1448.32x0.39=564.84	7.25 कि0ग्रा0
1565 / 82	21829.69x0.395=8622.73	21829.69x0.39=8513.58	109.15 कि0ग्रा0
		कुल मात्रा	**224.65 कि0ग्रा0**

(ख) ₹166 / –का संविदाकार को अधिक भुगतानः–

जाँच में पाया कि माप पुस्तिका 1566 के पृष्ठ 20 में स्टील की वास्तविक मात्रा 13234.39 कि0ग्रा0 थी जबकि संविदाकार को भुगतान 13238.34 कि0ग्रा0 स्टील का किया गया था अर्थात 3.95 कि0ग्रा0 स्टील का अनुबन्धित दर ₹42 / – प्रति कि0ग्रा0 के

हिसाब से ₹166/– का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली संविदाकार से करना सुनिश्चित करें।

16 कार्य का नाम C/O Police Building at Daulatpur

संविदाकार का नाम	श्री अगनेश प्रकाश
वाउचर संख्या	116 माह जून 2012
चलित बिल	6ठा चलित बिल
माप पुस्तिका	1473, 1482

उपरोक्त कार्य के 6ठें चलत बिल की जाँच पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई।

(क) संविदाकार को ₹1680/– का अधिक भुगतानः–

जाँच मे ंपाया कि उपरोक्त कार्य के 6ठें चलत बिल में मद "P/F 40mm thick fram of devdar wood" की रिकार्ड प्रविष्टि माप पुस्तिका 1473/08 के पृष्ठ 57 में 25.12एम2 इस प्रकार की गई थीः–

Window Gr. Floor	2x4x0.39x1.25	3.9m2
	2x0.39x0.94	0.73m2
	1x2x0.39x0.94	0.73m2
	1x2x0.37x1.25	0.92m2
Glazed window	4x2x0.39x1.25	3.90m2
	1x2x0.39x0.94	0.73m2
	1x2x0.39x0.94	0.73m2
	2x1x0.37x1.25	0.92m2
		12.56m2
Qty for 1st floor		12.56m2
		25.12 m2

जबकि भुगतान माप पुस्तिका 1482/08 के पृष्ठ 8 में 25.92 एम2 मात्रा के लिए किया गया था। इस प्रकार 0.80एम2 मात्रा का अनुबन्धित दर ₹2100/– प्रति एम2 के हिसाब से ₹1680/– का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया था जिसकी वसूली संविदाकार से

करना सुनिश्चित करें। इसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 189 दिनांक 28.12.13 द्वारा दी गई थी परन्तु इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई ।

(ख) अतिरिक्त मद की दर को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत न करवानाः–

उपरोक्त कार्य में एक मद "Cutting in earth work" का निष्पादन अतिरिक्त मद के रूप में किया गया था एवं भुगतान 105.89 घन मीटर मात्रा का पार्ट दर ₹85/– प्रति घन मीटर के हिसाब सें ₹9000.65 का किया गया था परन्तु अंकेक्षण के दौरान अतिरिक्त मद के निष्पादन की स्वीकृति एवं सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत दरें प्रस्तुत नहीं की गई। इस त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं आवश्यक स्वीकृति आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

17 संविदाकार को ₹8422/–का अधिक भुगतानः–

कार्य का नाम	Development of Park in front of M/C house Una
संविदाकार का नाम	श्री सोहन सिंह
वाउचर संख्या	151 माह जून 2012
चलित बिल	द्वितीय चलित बिल
माप पुस्तिका	1690, 1694

उपरोक्त कार्य के द्वितीय चलत बिल की जाँच पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) संविदाकार को ₹4274.40 का अधिक भुगतानः–

जाँच में पाया कि उपरोक्त वर्णित चलित बिल में मद 15mm cement plaster" की रिकार्ड प्रविष्टि माप पुस्तिका 1690/11 पृष्ठ 19 में 61.02m2 मात्रा की गई थी जबकि वास्तव में यह 7.59m2 इस प्रकार बनती थी। 62x4x.07x(0.20+0.40+0.50+0.65)/4=7.59m2 इस प्रकार 53.43m2 मात्रा का भुगतान

अनुबन्धित दर ₹80/– per m2 के हिसाब से माप पुस्तिका 1694 पृष्ठ 16 में ₹4274.40 अधिक किया गया था जिसकी वसूली संविदाकार से करना सुनिश्चित की जाए।

(ख) संविदाकार को मद संख्या 13/15 में ₹2137.20 का अधिक भुगतानः–

जांच में पाया कि उपरोक्त पैरा 17(क) में अधिक ली गई मात्रा 53.43एम2 का भुगतान मद संख्या 13/15 "Finishing wall with water proofing cement paint" भी अनुबन्धित दर ₹40/– per m2 के हिसाब से माप पुस्तिका 1694 पृष्ठ 16 में ₹2137.20/– अधिक किया गया था जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके मण्डल खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) 5 बैग सीमेन्ट की अधिक खपत के फलस्वरूप संविदाकार से दोहरी दर से वसूली न करनाः–

सीमेन्ट खपत विवरणी की जाँच में पाया कि मद 15mm cement plaster" में सीमेन्ट की खपत 359.83msx.0825 के हिसाब से 29.69 बैग सीमेन्ट ली गई थी जबकि वास्तव में 306.40msx.0825 की दर से 25.27 बैग सीमेन्ट बनती थी। इस प्रकार 4.42 बैग सीमेन्ट (29. 69–25.27) अर्थात 5 बैग सीमेन्ट की खपत अधिक दर्शाई गई थी। अतः इस अधिक खपत बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली की गणना दोहरी दर ₹402/– (201X2) प्रति बैग सीमेन्ट के हिसाब से ₹2010/– (402X5) संविदाकार से करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 188 दिनांक 28.12.13 द्वारा अधिशासी अभियन्ता को सूचित किया गया था लेकिन इस बारे कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

18 मैसर्ज सूद स्टील इन्डस्ट्री को ₹72700/– का अनुचित भुगतानः–

वाउचर संख्या 36 माह जून 2012 के तहत मैसर्ज सूद स्टील इन्डस्ट्री से परफोर्मा बिल संख्या 216 दिनांक 09.05.12 द्वारा निम्नलिखित सामग्री का क्रय करने हेतु भुगतान किया गया।

1	8MM Steel	8.00 M.T.	@ ₹42700 P.M.T.	341600
2	12MM Steel	6.00 M.T.	@ ₹41200 P.M.T.	247200
3	16 MM Steel	5.00 M.T.	@ ₹41200 P.M.T.	206000

4	20 MM Steel	16.00 M.T.	@ ₹41200 P.M.T.	659200
			Total	1454000
			Vat @ 5%	72700
			P.G.T.	2625
				1529325

जाँच में पाया कि परफोर्मा बिल पर ₹72700/– का वैट के रूप में विक्रेता को भुगतान किया गया था जबकि परफोर्मा बिल पर विक्रेता वैट की राशि चार्ज नहीं कर सकता था। अतः उपरोक्त क्रय में ₹72700/– का भुगतान वैट के रूप में किया गया था जोकि न्यायसंगत नहीं है। अतः विक्रेता से उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति का अधिकृत बिल लेना सुनिश्चित करें अन्यथा ₹72700/– की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

19 निर्माण कार्य "C/O polytech Collage Chamba" एवं "C/O Polytech Collage Banikhat" में खर्च राशि को खाताबही एवं तलपट में अलग–2 प्रदर्शित न करने बारेः–

जाँच में पाया कि वर्ष 2012–13 में उपरोक्त कार्यों में खर्च राशि की प्रविष्टियाँ सम्बन्धित कार्य की खाताबही मे ंन करके एक दूसरे की खाताबही के पृष्ठ संख्या 312, 313 एवं 109 में की गई थी अर्थात निर्माण कार्य "C/O Polytech collage Chamba" में खर्च राशि की प्रविष्टियाँ निर्माण कार्य "C/O Polytech collage Banikhet" की खाता वही में की गई थी एवं इसी प्रकार "C/O Polytech collage Banikhet" पर खर्च की राशि की प्रविष्टियाँ "C/O Polytech Collage Chamb" की खाताबही में की गई थी। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उपरोक्त कार्य विशेष में कितनी–2 राशि खर्च की गई थी। अतः इसकी पृथक–2 प्रविष्टियाँ सम्बन्धित कार्य की खातावही में करना सुनिश्चित करें एवं यदि खर्च राशि जमा राशि से अधिक है तो इसकी वसूली सम्बन्धित विभाग से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 स्टॉक खाते की खाता वही में गलत प्रविष्टि करने बारेः–

जाँच में पाया कि रोजनामचा में जून–2012 की प्रविष्टि संख्या 12 पृष्ठ 46 में सीमेन्ट के क्रय पर निम्न लिखित प्रविष्टि की गई थी

Stock A/S Dr. 527809

To Misc. Advance 527809

(Being cement received from HPSCS Corp. Shimla vide G.R, No. 429 dt 12-6-12 is here by adjusted)

जबकि खाता बही के पृष्ठ संख्या 386 में डेंबिट एवं क्रेडिट दोनों ही Stock A/C को कर दिया गया था अर्थात क्रेडिट की प्रविष्टि Misc. Advance की खाता वही में की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण के दौरान इस बारे सूचित किया गया था एवं इस त्रुटि का समायेाजन वाउचर संख्या 1 माह दिसम्बर 2013 में निम्न प्रकार से कर दिया गया था।

Stock A.C. Dr. 527809

To Misc. Advance A/C 527809

21 ₹6001169/– की धरोहर राशि को CPWD work Mannual के नियम 21.7 के अनुसार मण्डल की आय में लेखाकिंत न करनाः–

धरोहर राशि के रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न कार्यों की धरोहर राशि के रूप में ₹6001169/– की राशि भुगतान हेतु वर्ष 1984 से वर्ष 2010 तक धर्मशाला मण्डल के खाते में शेष है। अतः यह राशि अब CPWD Work Mannual के नियम 21.7 के अनुसार लौटाने योग्य नहीं है। नियमानुसार किसी कार्य को पूरा करने के 3 वर्ष के भीतर यदि ठेकेदार द्वारा धरोहर राशि को वापिस लेने का दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इस राशि को Lapsed Security Deposit मानकर उस संस्था की आय मान ली जाती है। अतः इस राशि को उपरोक्त नियम के अनुसार, मण्डल की आय में लिया जाना सुनिश्चित किया जाये। पूर्ण ब्यौरा इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट "च" में दिया गया है।

22 संविदाकारों को जारी स्टॉक का कन्ट्रेक्टर लैजर में लेखांकन न करनाः—

भण्डार से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न निर्माण हेतु समय—2 पर स्टॉक/भण्डार से निर्माण सामग्री जारी की गई थी परन्तु उक्त सामग्री के मूल्य सम्बन्धित संविदाकार के खातों में लेखाकिंत नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। कुछ प्रकरण उदाहरणार्थ परिशिष्ट "छ" में दिए गये है जिनमें जारी की गई निर्माण सामग्री के मूल्य सम्बन्धित संविदाकार के खाते में लेखाकिंत नहीं किया है जिससे किसी भी संविदाकार को अधिक एवं अनुचित भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि जारी की गई निर्माण सामग्री का इन्द्राज सम्बन्धित लैजर में किया जाना अपेक्षित एवं आवश्यक होता है। अतः जारी की गई निर्माण सामग्री का कन्ट्रैक्टर लैजर में इन्द्राज न करना एक गम्भीर अनियमितता है व मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है एवं वर्ष 2012—13 में जारी निर्माण सामग्री को कन्ट्रैक्टर लेजर में लेखाकिंत किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

23 सेवा पंजिका को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः—

हिमुडा मण्डल धर्मशाला में कार्यरत्त कर्मचारियों की सेवा पंजिका अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158 दिनांक 2011—13 एवं 181 दिनांक 18.12.13 द्वारा अंकेक्षण हेतु प्रस्ततु करने को कहा गया था लेकिन निम्न कर्मचारियों की सेवा पंजिकाएं अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाई जिस कारण से इनका अंकेक्षण नहीं किया जा सका।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पद
1	श्री सोमनाथ महन्त	अधिशासी अभियन्ता
2	श्री के0के0 सूद	सहायक अभियन्ता
3	श्री रमेश चन्द	वरिष्ठ सहायक
4	श्री कुलदीप चन्द	वरिष्ठ सहायक
5	श्री मती वन्दना कटोच	वरिष्ठ सहायक
6	श्रीमती चन्द रेखा	कनिष्ठ सहायक
7	श्री कैलाश चन्द	लिपिक
8	श्री देश राज	ड्राफ्टमैन

9	श्री एच0एल0 धीमान	अतिरिक्त सहायक अभियन्ता
10	श्री विरेन्द्र कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता
11	श्री संदीप ठाकुर	कनिष्ठ अभियन्ता
12	श्री उमेश चन्द	कनिष्ठ अभियन्ता
13	श्री विरेन्द्र कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता
14	श्री जितेन्द्र पुरी	कनिष्ठ अभियन्ता
15	श्री अजय सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
16	श्री देश राज	सर्वेयर
17	श्री प्रकाश चन्द	चालक
18	श्री बलवन्त सिंह	चपड़ासी
19	श्री गोडो राम	चपड़ासी
20	श्री ओकार चन्द	चौकीदार
21	श्री राज कुमार गुप्ता	टैक्नीकल ग्रेड–I
22	श्री राजीव कुमार	कार्य निरीक्षक
23	श्री अजय कुमार	बेलदार
24	श्री जोगिन्द्र सिंह	बेलदार
25	श्री राम सिंह	बेलदार
26	श्री जालम सिंह	चालक, रोड रोलर
27	श्री आर0सी0 भाटिया	सहायक अभियन्ता
28	श्रीश्री आर0डी0 शर्मा	सहायक अभियन्ता
29	श्रीअच्छर सिंह	अतिरिक्त सहायक अभियन्ता
30	श्री कश्मीरी लाल	कनिष्ठ अभियन्ता
31	श्री रमेश चन्द	चपड़ासी
32	श्री मस्त राम	क्लीनर
33	श्री पवन कुमार	कार्य निरीक्षक
34	श्री दिलवर सिंह	बेलदार
35	श्री दर्शन लाल	बेलदार
36	श्री राकेश कुमार	बेलदार
37	श्री बलवीर सिंह	बेलदार

38	श्री तिलक राज	बेलदार
39	श्री सुरेश कुमार–II	बेलदार
40	श्री जगदीश सिंह	कनिष्ठ टैक्नीशियन
41	श्री हरी कृष्ण	वरिष्ठ सहायक

अतः उपरोक्त सेवा पंजिकाएं उपलब्ध न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

24 वाहन में 693.39 लीटर डीजल की अधिक खपत दर्शानाः–

वाहन संख्या एच0पी0 39 ए–7281 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया कि अवधि 4/12 से 3/13 तक डीजल की खपत 6.86 से 7.11 कि0मी0 प्रति लीटर की दर से की गई थी जबकि प्रमाणिक ऐजेन्सी के द्वारा मार्च 2008 में इस वाहन की औसत 8 कि0मी0 प्रति लीटर प्रमाणित की गई थी। इस प्रकार 547.39 लीटर डीजल की अधिक खपत की गई थी इसका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार से हैः–

Opening Meter reading on 01.04.12	166127 KMs
Closing Meter Reading on 31.03.13	197444 KMs
Total Kilometers covered by the vehicle in 2012-13	31317 KMs
Certified Average	8 KMs per Ltr
Certified consumption of fuel	39.5 Ltr.
Actual Consumption of fuel	4462.39 Ltr.
Excess consumption of fuel	547.39 Ltr.

इसके अतिरिक्त 146 लीटर डीजल को औसल की गणना के दौरान नहीं लिया गया था इसका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार से हैः–

माह	**डीजल की मात्रा जो औसत की गणना में नहीं ली गई**
04/2012	26 लीटर
05/2012	36 लीटर
06/2012	12 लीटर
07/2012	25 लीटर

11/2012	25 लीटर
12/2012	22 लीटर
कुल	**146 लीटर**

उपरोक्त की सूचना अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 176 दिनांक 16.12.2013 द्वारा दी गई थी लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। उपरोक्त अधिक खपत की गई डीजल की मात्रा 693.39 लीटर के बाजार मूल्य के बराबर उचित स्त्रोत से वसूली करना मण्डल खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

25 फोटोस्टेट मशीन की लॉग बुक का रख रखाव न करनाः—

जाँच में पाया कि पत्र संख्या HIMUDA/DD/CB/S-24/2010/4804-07 दिनांक 20.10.2010 द्वारा फोटोस्टेट का कार्य मैसर्ज राजेश ईन्टर प्राईजिज को आंबटित किया गया था जिसमें फोटोस्टेट मशीन आपूर्तिकर्ता द्वारा हिमुडा कार्यालय में स्थापित की गई थी एवं 70 पैसे प्रति फोटोस्टेट कॉपी के हिसाब सें भुगतान किया जाता है लेकिन फोटोस्टेट कार्य का लेखा जोखा रखने के लिए धर्मशाला मण्डल में लॉग बुक तैयार नहीं की गई थी जिसके अभाव में फोटोस्टेट मशीन के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इसकी लॉग बुक नियमों के अनुसार तैयार करके आगामी लेखा परीक्षा में आवश्यक सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें एवं आपूर्तिकर्ता को केवल कार्यालय से सम्बन्धित कार्य का भुगतान ही करना सुनिश्चित करें।

26 धर्मशाला मण्डल में स्थित विश्राम गृह से औसत से कम आय बारेः—

हिमुडा के धर्मशाला मण्डल में एक विश्राम गृह है जिसमे 3 सैट लोगों को सरकारी एवं निजी कार्य के दौरान ठहरने के लिए उपलब्ध है। जाँच में पाया गया कि इस विश्राम ग्रह से प्राप्त आय नाम मात्र है। जिससे विश्राम गृह के संचालन की राशि पूरी करना भी मुश्किल है। अतः इस विश्राम ग्रह की आय बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएं ताकि कम से कम विश्राम गृह के रख—रखाव की राशि को वहन किया जा सके। वर्ष 2012—13 में विश्राम गृह से प्राप्त राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

माह	आय	रसीद सं0
अप्रैल 2012	1200	रसीद सं0 0030697 दिनांक 01.06.2012
मई 2012	1550	रसीद सं0 0030786 दिनांक
जून 2012	2150	03.08.12
जुलाई 2012	500	रसीद सं0 0030831 दिनांक
अगस्त 2012	1100	28.09.2012
सितम्बर 2012	600	रसीद संख्या 0030883
अक्तूबर 2012	400	दिनांक 06.12.12
नवम्बर 2012	1000	
दिसम्बर 2012	450	रसीद सं0 0030988 दिनांक
जनवरी 2013	1850	11.3.13
फरवरी 2013	950	
मार्च 2013	1150	रसीद सं0 0030028 दिनांक 26.04.2013

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आय प्राप्त करने के दो या तीन महीनें के पश्चात मण्डल के खाते में राशि जमा करवाई गई थी यह अनियमित है। अतः उपरोक्त राशि पर ब्याज के रूप में हुई हानि की क्षतिपूर्ति दण्ड ब्याज सहित वसूलना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में प्राप्ति आय को अभिलम्ब नियमानुसार मण्डल के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

27 धर्मशाला मण्डल के विभिन्न उपमण्डलों में काफी वर्षों से ₹835878/– की सामग्री का उपयोग न करनाः–

विभिन्न उपमण्डलों के भण्डार खातों की जाँच करने पर पाया कि इनके पास ₹835878/– की विभिन्न सामग्री काफी वर्षों से भण्डारों में बेकार पड़ी है अर्थात किसी भी कार्य में इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अतः इस सामग्री को क्रय करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं आवश्यकतानुसार इस सामग्री का निर्गमन निर्माण कार्यों को करके एवं इसकी वसूली सम्बन्धित संविदाकारो से बजार मूल्य पर करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में कार्य की आवश्यकतानुसार ही सामग्री का क्रय करना भी सुनिश्चित करें। सामग्री का विवरण निम्नलिखित हैः–

सामग्री का विवरण

उपमण्डल	सामग्री	बिन कार्ड	मात्रा	दर	राशि
(1) पालमपुर	PGI Sheet 0.63 MM	249	8.782 Qtl	3093.40 P.QM	27166.23
	PGI Sheets 0.80 MM	220-B	4.25 Qtl	-do-	13146.95
	SCI Plain bend 100MM	208	11 Nos	25 each	275
	SCI Tee 100MM	210	13 Nos	134.96 each	1754.48
	PIG Lead 99%	212	132.20 Kg	54.37 P.Kg	7187.71
	SCI Collar 100MM	214	8 Nos	45.5 each	361.20
	Aluminium Handle 75MM	276-B	36 Nos	18.45 each	624.20
	S.F.R.C. Main Hole Cover	276	1 Nos	324.28 each	324.28
	Towel Bolt 100x10MM	248	168 Nos	18.45 each	3099.60
	Handle Aluminium 100	247	74 Nos	20.39 each	1508.86
(2) चम्बा	Electricity Poles 14 Feet Height	286	37 Nos	16146.20 each	597409.40
	PGI Sheets .63 MM	387	.008 M.T.	44380.64 P.M.T.	355.05
	CGI Sheets 0.63 MM	265	1.455M.T.	41766150 P.M.T	60770.26
(3) ऊना	CGI sheets .63x800x3600	191	6.94 Qtl	37792 P.M.T.	26227.65
	GI Reducer 6”x4”	187	1 Nos	55.50 each	55.50
	GI Reducer 5”x4”	186	1 Nos	24.77 each	24.77
	C.I. Piepe 80MM	185	10.70 Rmt	44.10 Per	471.87

	dia CI flange Socket			RMT	
	CI flange socket	184	2 Nos	44.10 each	88.20
(4) धर्मशाला	Channel 100x50MM	365	1.60 Qtl	680 P.	1088
	CGI Sheets .63 MM	23	.061	16709 PMT	1019
	CGI Sheets old & used	184-B	.108 M.T	16709 P.M.T	1805
	.63MM. 810x3	239	.535 MT	43932 P.M.T	23504
	PGI Sheets .63 MM	272	.085 MT	38194 P.M.T	3246
(5) धर्मशाला (देहरा)	Window frames (.60x1.30)	173	18 Nos	305 each	5490
	Door frames Pressed steel chowkhat (1x2.05) Double Retale	73	8 Nos	408 each	3264
	Door frames pressed Steel (1x2.05) single retate	74	36 Nos	307 each	11052
	Door frame pressed steel chowkhat & (0.85x2.05) (single retate)	75	9 Nos	347 each	3123
	Door frames pressed steel (0.75x2.05) Single retate	76	18 Nos	340 each	6120
	Window frames Pressed steel (1.80x1.30)	171	27 Nos	912 each	24624

Window frames pressed steel (0.90x1.05)	172	27 Nos	396 each	10692
			कुल राशि	**835878.21**

28 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई अंकेक्षण के दौरान इनका समाधान कर दिया गया।

29 **निष्कर्ष :–** लेखों में विशेष सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः –फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)119/88–खण्ड–16–2228–30,दिनांक 11.04.2014, शिमला–171009.

प्रतिलिपि :–

पंजीकृत :– (1) अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

(2) प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002.

(3) सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निगम विहार, शिमला–171002.

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट ''क'' अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 1(ग) में सन्दर्भित है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

1	पैरा 5 (5)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा 8	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा 13 (2)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 8(1)(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 8(1)(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 8(1)(सी)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 8(3)	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 15	अनिर्णीत
8	पैरा 18	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा 11(1)(1से 4)	अनिर्णीत
2	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 11(3)	अनिर्णीत
4	पैरा 11(4)	अनिर्णीत
5	पैरा 11(5)	अनिर्णीत

6	पैरा 11(6)	अनिर्णीत
7	पैरा 11(7)	अनिर्णीत
8	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
9	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत
12	पैरा 14(2)	अनिर्णीत
13	पैरा 15(1)	अनिर्णीत
14	पैरा 15(2)	अनिर्णीत
15	पैरा 15(3)	अनिर्णीत
16	पैरा 15(4)	अनिर्णीत
17	पैरा 16(1)	अनिर्णीत
18	पैरा 16(3)	अनिर्णीत
19	पैरा 17(1)	अनिर्णीत
20	पैरा 17(5)	अनिर्णीत

(च) (i) एस0डी0ए0 उपमण्डल धर्मशाला का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष (1996–1997)

1	पैरा 72(बी व सी)	अनिर्णीत
2	पैरा 73(ख व ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 74	अनिर्णीत
4	पैरा 75	अनिर्णीत
5	पैरा 76	अनिर्णीत
6	पैरा 77(क व ख)	अनिर्णीत
7	पैरा 78	अनिर्णीत
8	पैरा 79	अनिर्णीत
9	पैरा 80	अनिर्णीत
10	पैरा 81	अनिर्णीत
11	पैरा 82	अनिर्णीत

(ii) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

1	पैरा 15(फ, व, भ, म, त झ, ञ)	अनिर्णीत
2	पैरा 33 (ख, ङ, च, ज, झ, ञ)	अनिर्णीत
3	पैरा 34(क, घ, ठ)	अनिर्णीत
4	पैरा 35(क, ख, ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 36(क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 37(क, ख, ग)	अनिर्णीत
7	पैरा 38	अनिर्णीत
8	पैरा 39	अनिर्णीत
9	पैरा 40	अनिर्णीत
10	पैरा 41(क, ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 42	अनिर्णीत
12	पैरा 43	अनिर्णीत
13	पैरा 44	अनिर्णीत
14	पैरा 45(क, ख, ग)	अनिर्णीत
15	पैरा 46(क, ख)	अनिर्णीत
16	पैरा 47	अनिर्णीत
17	पैरा 48	अनिर्णीत
18	पैरा 49(क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
19	पैरा 50	अनिर्णीत
20	पैरा 51	अनिर्णीत
21	पैरा 52	अनिर्णीत
22	पैरा 53	अनिर्णीत
23	पैरा 54	अनिर्णीत
24	पैरा 55	अनिर्णीत

(iii) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99

1	पैरा 27	अनिर्णीत
2	पैरा 29	अनिर्णीत
3	पैरा 31	अनिर्णीत

(iv) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2001

1	पैरा 54	अनिर्णीत
2	पैरा 55	अनिर्णीत
3	पैरा 56	अनिर्णीत
4	पैरा 57	अनिर्णीत
5	पैरा 58	अनिर्णीत
6	पैरा 59	अनिर्णीत
7	पैरा 60	अनिर्णीत
8	पैरा 61	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 10(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 12(ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 15	अनिर्णीत
7		

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा 4(ii)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–9	अनिर्णीत
5	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा–11 (ग)	अनिर्णीत
7	पैरा–12 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा–13 (ग)	अनिर्णीत
9	पैरा–15	अनिर्णीत
10	पैरा–16	अनिर्णीत
11	पैरा–26	अनिर्णीत
12	पैरा–27 (क) (1)	अनिर्णीत
13	पैरा–27 (क) (2)	अनिर्णीत
14	पैरा–27 (क) (3)	अनिर्णीत
15	पैरा–27 (क) (4)	अनिर्णीत
16	पैरा–28 (ii)	अनिर्णीत
17	पैरा–29	अनिर्णीत
18	पैरा–30	अनिर्णीत
19	पैरा–32	अनिर्णीत
20	पैरा–33	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा–7	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–11	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत

6	पैरा–13	अनिर्णीत
7	पैरा–15	अनिर्णीत
8	पैरा–16	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा–6	अनिर्णीत
6	पैरा–7	अनिर्णीत
7	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत
10	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत
11	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत
12	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत
13	पैरा–10 (ग)	अनिर्णीत
14	पैरा–10 (घ)	अनिर्णीत
15	पैरा–10 (ङ)	अनिर्णीत
16	पैरा–10 (च)	अनिर्णीत
17	पैरा–10 (छ)	अनिर्णीत
18	पैरा–10 (ज)	अनिर्णीत
19	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत
20	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत
21	पैरा–12 (क)	अनिर्णीत
22	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत
23	पैरा–12 (ग)	अनिर्णीत
24	पैरा–12 (घ)	अनिर्णीत

25	पैरा–13 (क)	अनिर्णीत
26	पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत
27	पैरा–13 (ग)	अनिर्णीत
28	पैरा–13 (घ)	अनिर्णीत
29	पैरा–13 (ङ)	अनिर्णीत
30	पैरा–13 (च)	अनिर्णीत
31	पैरा–14	अनिर्णीत
32	पैरा–15 (क)	अनिर्णीत
33	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत
34	पैरा–15 (ग)	अनिर्णीत
35	पैरा–15 (घ)	अनिर्णीत
36	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत
37	पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत
38	पैरा–16 (ग)	अनिर्णीत
39	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत
40	पैरा–17 (ख)	अनिर्णीत
41	पैरा–18	अनिर्णीत
42	पैरा–19	अनिर्णीत